कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail:-wcd-raigarh@cg.gov.in

क्र./ LLO /मबावि/सखी/2025–26 रायगढ़, दिनांक 11/04/2025

//विज्ञापन//

सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु रिक्त सेवा प्रदाताओं के भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना ''मिशन शक्ति'' की शुरूआत की है। मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजनान्तर्गत दो उपयोजना संबल एवं समर्थ शामिल है । संबल उपयोजना अंतर्गत जिला रायगढ़ (छ.ग.) में संचालित ''सखी'' वन स्टॉप सेंटर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए रिक्त निम्नानुसार 05 पदों (केवल महिलाओं के लिए) की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र **दिनांक 11.04.2025 से 13.05.2025** तक कार्यालयीन समय सांय 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला रायगढ़ (छ.ग.) पिन 496001 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा । आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट/ कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदन को ही स्वीकार किया जावेगा । विज्ञापित पद निम्नानुसार हैः–

क्र	सेवा प्रदाता का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या				वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.		
1	पैरा लिगल कार्मिक/ वकील	01	0	0	0	06	18420
2	पैरामेडिकल कार्मिक	01	0	0	0	06	18420
3	सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड	01	01	01	0	01	11360

1. सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व –

S. No	Position	Number Of Staff	Qualification	Roles & Responsibilities
1	Para Legal Personnel/ Lawyer	01	In the absence of Legal Advisors provided by District legal Services Authority, the legal counselling service could be outsourced to any person having a digree in Law/ with legal training or knowledge of laws with at least 3 years " experience of working within a Government or Non government women related project / programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 year" experience of litigation in any court of law.	• She will inform and orient the women about her legal rights and help/guide the women to initiate legal proceedings against the abuse/violence suffered, if she is willing to do so. • She will coordinate/liaise with the public prosecutor or the SLSA/DLSA Lawyer, to support the woman even after her case has been filed in court as well as to ensure there is follow-up of the case to its logical conclusion. • She will simplify legal procedures for the affected women and advocate for her exemtion from court hearings. • She will facilitate speedy and hassle free police and court proceedings through the empoyment of video conferencing facility for the recording of statement of women affected by violence.

2	Para Medical Personnel	01	In the absence of regular para medical personnel provided by District Health Authorities, the Medical assistance service could be outsourced to any Women having professional degree / diploma in paramedics with a background in health sector and preferably with at least 3 years " experience of working within a Government or Non-Government health project/programme at the district level.	• Para Medical Personnel will work in shifts to provide 24 hour service at OSC • She will provide first aid and immediate life-saving medical assistance to the aggrieved women until she reaches the hospital. • She will accompany the women affected by violence to the Hospital. In cases of women affected by sexual violence. She will ensure strict compliance of protocols developed by MoHFW to conduct forensic examination and other tests by the Doctors. • She will help in drafting the medical case history of the women affected by violence .
3	Security Guard/ Night Guard	03	The Service could be outsourced to any person who is passed 8th from any recognized board having at leas 2 year" experience of working as security perssonal in a government or reputed organization at the district/state level. He/she should preferably be retired miliatary/ para-military personnel.	• Security Guard/ Night Guard will work in shifts to provide-24 hour service at OSC. • The Security Guard/ Night Guard would be responsible for the overall security of OSC. • She would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at OSC.

02 आयु सीमा–

2.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2.2 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

2.3 पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.5 योजना संचालन के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर में व्यक्तिगत सेवाप्रदाता के रूप में केवल महिलाएं की सेवायें प्राप्त की जाएगी ।

2.6 चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी ।

2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति की कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण–पत्र कार्यालय को देना होगा ।

आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिध्द दोष प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

2.8 सखी वन स्टॉप सेंटर में कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनियता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा प्रदाता मे उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनियता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लघंन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।

2.9 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.10 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

2.11 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

2.12 अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

2.13 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध मे नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

2.14 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप मे मान्य नहीं किया जावेगा।

2.15 शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

2.16 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध मे उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें ।

2.17 प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है , स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

2.18 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

2.19 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगें तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक–इन–इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रकिया की जायेगी । **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नही दी जावेगी ।**

2.20 आवेदन पत्र पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई तिथि तक स्वीकार किया जायेगा ।

2.21 कौशल परीक्षा/वॉक इन इन्टरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नही होगा ।

2.22 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ शिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगा तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होगें ।

2.23 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नही होगा ।

2.24 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी । विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा ।

2.25 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृध्दि किये जाने पर इन्हे वृध्दि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा ।

03. **आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे–**

3.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

3.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

3.3 राज्य के महिला हेल्प लाईन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र मे कार्यानुभव रखने वाले आवेदक को बोनश अंक के रूप में प्रतिवर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेगें, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा ।

3.4 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

3.5 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है । वॉक इन इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर ही मापदण्ड रखा जायेगा ।

3.6 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची मे समान अंक होने की दशा मे उम्र मे वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

3.7 अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कंडिका 3.1, 3.2 एवं 3.3 पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वैटेज के आधार पर मेरिट सूची अनुसार 01 पद के पीछे 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जावेगी ।

04. नियुक्ति की अवधिः–

4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार मेंएकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

11/4/25

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–रायगढ (छ.ग.)